Reform Act of 1867
1867 का सुधार अधिनियम

प्रथम सुधार बिल पारित होने के फलस्वरूप उच्च मध्यमवर्ग को मताधिकार मिल गया था परन्तु निम्न मध्यम वर्ग तथा श्रमिक अब भी इससे वंचित थे। Chartist आंदोलन को दबा दिया गया था परन्तु इसने मजदूरों में जागृति उत्पन्न कर दी थी। अंग्रेज यह समझते थे कि यदि मताधिकार का क्षेत्र बढ़ाया नहीं गया तो आंदोलन फिर प्रारंभ हो जाएगा। मताधिकार के अतिरिक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी अनेक दोष थे। प्रथम सुधार अधिनियम ने तो मताधिकार प्रणाली के कुछ दोषों को तो दूर किया था। 1832 के बाद के तीस वर्षों में इन दोषों का तेजी से प्रचार हुआ था। तब से अब तक इंग्लैण्ड के विभिन्न क्षेत्रों की आबादी के घनत्व में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में कोई परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में काफी असमानता आ गयी थी।

मताधिकार को विस्तृत करने के लिए इंग्लैण्ड में काफी समय से आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकर्ताओं

में निम्न मध्यमवर्ग तथा श्रमिक दोनों सम्मिलित थे। लेकिन इसके बावजूद भी देश के अन्दर सुधार के लिए उत्साह का सर्वथा अभाव था। साथ ही साथ सुधारों के लिए विशेष विरोध भी नहीं था। यहाँ तक कि लॉर्ड सभा भी सुधार विरोधी नहीं थी। पाँच बार विभिन्न मंत्रिमंडलों ने राजा के भाषण में सुधारों के सुझाव दिए थे परन्तु वे कार्यान्वित नहीं हो सके। इसका प्रमुख कारण यह था कि पामर्स्टन सुधार विरोधी था। पामर्स्टन के विरोध और देश में उत्साह के अभाव के कारण कामन्स सभा का सुधार 1865 तक नहीं हो सका।

1865 में पामर्स्टन की मृत्यु के बाद सुधार के दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा हट गयी। व्हिग दल के नेता रसेल प्रधानमंत्री बने जो मताधिकार विस्तृत करने के पक्षधर थे। रसेल द्वारा पार्टी का नेतृत्व ग्लैडस्टोन को सौंप दिया गया। ग्लैडस्टोन ने जॉन ब्राइट से मैत्री स्थापित कर सुधार बिल संसद में पेश करने का निश्चय किया। इसके पूर्व भी इस दिशा में निम्न प्रयास किए गये थे —

जॉन रसेल द्वारा 1852 तथा 1854 में कामन्स सभा में सुधार बिल प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उनके मंत्रिमंडल के पतन तथा [illegible] क्रीमिया युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण

Date : / /

प्राप्ति न हो सके थे।

1859 में डिजरायली ने भी एक बिल कॉमन्स सभा में प्रस्तुत किया था लेकिन जब विरोधी दल द्वारा बिल के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए एक संशोधन रखा तो सरकार हार गयी।

1860 में रसेल ने पुनः संसद में एक सुधार बिल रखा था लेकिन संसद से इसे इतनी उपेक्षा तथा जनता से इतनी उपेक्षा मिली की रसेल ने बिल वापस ले लिया।

1864 में लिबरल पार्टी के एक सदस्य द्वारा एक बिल कॉमन्स सभा में प्रस्तुत किया परन्तु पॉमस्टन की उपेक्षा के कारण बिल समाप्त हो गया। इस घटना का महत्व इसलिए उल्लेखनीय है कि ग्लैडस्टोन ने इस अवसर पर एलान किया कि जिस व्यक्ति का दिमाग भंग नहीं हुआ है, नैतिक दृष्टि से उसे विधान में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए।

चूँकि देश में सुधार के लिए विशेष उत्साह नहीं था, ग्लैडस्टोन ने श्रमिक वर्ग को मताधिकार देने के लिए साधारण तथा नरम प्रस्ताव कॉमन्स सभा में लाया।

continued----